



2026: AHC : 43342

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 697 वर्ष 2026

राम नारायण गुप्ता उर्फ नारायण रामयाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता : विभा श्रीवास्तव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. याचियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"I. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 229-बी के तहत वाद संख्या 20071436529 वर्ष 2007 - (राम नारायण बनाम सतीश एवं अन्य) को प्रतिवादी उप-जिलाधिकारी, तहसील-केराकत, जिला-जौनपुर को यथासंभव शीघ्रता से और माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समय सीमा के भीतर तय करने हेतु परमादेश की प्रकृति में आदेश या निर्देश जारी करना।

II. प्रतिवादियों को प्रकृति और कब्जे, दोनों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने हेतु परमादेश की प्रकृति में आदेश या निर्देश जारी करना।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया गया है कि इससे पहले इसी राहत के लिए याची ने रिट - सी संख्या 19506 वर्ष 2022 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खटखटाया था, जिसे 16 जुलाई, 2022 के निर्णय और आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया था, जो कि निम्नानुसार है:-

"याची के विद्वान अधिवक्ता और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी के साथ-साथ राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

आज पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए इस चरण में विपक्षी प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

याची इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ आया है कि वे याची द्वारा 18.07.2007 को संस्थानित यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी के तहत लंबित वाद कार्यवाही संख्या T20071436529 के निर्णय तक शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।

यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभ में अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी के तहत व्यादेश का एक आदेश पारित किया गया था जिसे निगरानी में चुनौती दी गई थी और निगरानी याचिका में स्थगन आदेश को रद्द कर दिया गया था।

याची की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने निगरानी के आदेश को संबंधित न्यायालय के समक्ष नहीं रखा और इसी कारण याची उसे चुनौती नहीं दे सका।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अब प्रतिवादियों ने विवादित भूमि के संबंध में तृतीय पक्ष अधिकार सृजित कर दिए हैं और अब बाद का खरीदार भूमि की प्रकृति बदलने की कोशिश कर रहा है।

मामला जो भी हो, न्यायालय के विचार में, किसी निजी व्यक्ति को कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि, चूंकि वाद की कार्यवाही लंबित है, इसलिए याची भूमि के बाद के खरीदारों और उन लोगों के खिलाफ व्यादेश की मांग करते हुए एक नया आवेदन कर सकता है जिन्हें वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। यह प्रावधान किया जाता है कि यदि ऐसा कोई आवेदन आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उस पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से अगले आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, व्यादेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदन के आदेश के खिलाफ निगरानी में पारित आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।"

4. यह आगे तर्क दिया गया है कि इसके बावजूद, आज तक अवर न्यायालय द्वारा याची द्वारा निगरानी के साथ दायर व्यादेश आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अंतरिम व्यादेश प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को निर्देशित करने हेतु प्रार्थना की गई है। न तो आज तक व्यादेश आवेदन का निर्णय हुआ है और न ही प्रश्नगत वाद का, और प्रार्थना की गई है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए और उक्त वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पहले, उसी याची द्वारा दायर रिट याचिका को निस्तारित करते समय निचली अदालत को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम व्यादेश के आवेदन को तय करने का निर्देश दिया गया था, जिस पर आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

7. मामले के इस स्वरूप को देखते हुए और न्याय के हित में, अवर न्यायालय जिसके समक्ष उपरोक्त मामला लंबित है, उसे ऊपर उद्धृत 16 जुलाई, 2022 के आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

23 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।